कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा): (क) से (ग) इस समय सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा में मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का अंग्रेजी का प्रश्न-पत्र अनिवार्य है। यह प्रश्न-पत्र केवल अर्हक स्वरूप का है अर्थात् इस प्रश्न-पत्र में प्राप्त अंकों को रैंकिंग के लिए नहीं गिना जाता।

सिविल सेवा परीक्षा सहित संघ लोक सेवा आयोग की विभिन्न परीक्षाओं में अंग्रेजी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र को जारी रखने या न रखने से संबंधित प्रश्न की, प्रो. सतीश चन्द्र, भूतपूर्व अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा की गई, जिसकी रिपोर्ट सरकार के पास विचाराधीन है। यह मामला दिनांक 13.5.94 को माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा आयोजित विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक में भी चर्चा के लिए उठाया गया और इस संबंध में मतैक्य प्राप्त करने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से विचार आमंत्रित किए गए हैं।

Reservation of Physically Handicapped and Ex-Servicemen in Educational Institutions

3215. SHRI RAGHAVJI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether there is any provision for reservation of posts for physically handicapped and Ex-servicemen in recruitment (direct) to different posts in Central Government-owned or fully funded and controlled educational institutions;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether this is in addition to the reservation prescribed for SC/ST and OBCs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SMT. MARGARET ALVA): (a) to (c) In accordance with the existing instructions, there is reservation for physically handicapped and ex-servicemen in services and posts under the Government of India. The extent of reservation in this regard is as follows: (i) Physically handicapped in

Group C & Group D	03%
(ii) Ex-servicemen in Group D	20%
(iii) Ex-servicemen in Group C and Group B posts of Assistant Commandants in the para-military forces	10%

These instructions are applicable to the Central Government offices and Central Government owned educational institutions. In respect of fully funded and controlled educational institutions of the Central Government, these instructions are not *ipso facto* applicable. Specific orders are to be issued by the administrative Ministries concerned.

The total reservation for SC/ST/OBC (including backlog for SC/ST), ex-servicemen, physically handicapped and for any other categories taken together should not exceed 50% of the vacancies to be filled in any recruitment year.

केन्द्रीय सरकार के श्रेणी ''क'' के अधिकारियों द्वारा किए गए अपराध

3216. श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालयों के श्रेणी ''क'' के अधिकारियों द्वारा किए गए आर्थिक अपराधों के सिलसिले में जनवरी, 1992 से जून, 1994 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या क्या है;

(ख) मंत्रालय-वार कितने मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ग) जिन मामलों की पहले ही जांच हो चुकी है, उनका ब्यौरा क्या है तथा कितने मामलों में अपराध सिद्ध हो चुका है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा): (क) से (ग) केन्द्रीय सिविल सेवा (नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील) नियमावली की अनुसूची के तहत वर्गीकृत 45 समूह ''क'' केन्द्रीय सिविल सेवाएं हैं। इन सेवाओं से संबंध रखने वाले अधिकारी भारत सरकार के 43 मंत्रालयों के तहत आने वाले विभागों के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत हैं। प्रत्येक विभाग अपने यहां कार्यरत अधिकारी के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए सक्षम है। इन सभी सेवाओं के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों से संबंधित सूचना न तो केन्द्रीकृत रूप से रखी जाती है और न ही उन पर केन्द्रीकृत रूप से निगरानी रखी जाती है। केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड 1 तथा चयन ग्रेड अधिकारी) के संबंध में जिसके लिए यह मंत्रालय संघर्ग नियंत्रक प्राधिकारी है, देश के आर्थिक कानून (आयकर अधिनियम इत्यादि) किसे आर्थिक अपराध कहा जा सके, के उल्लंघन के संबंध में इस अवधि के दौरान कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।